>

Title: Need to increase the Minimum Support Price of paddy and wheat.

श्री नीरज शेखर (बलिया): हमारे देश की लगभग 68 प्रतिशत आबादी आज भी कृषि कार्य में लगी है या कृषि पर आश्रित है। भारत में कृषि योग्य भूमि का औसत लगभग 57 प्रतिशत है, जबकि पूरी दुनिया में मात्र 11 प्रतिशत भूमि ही कृषि योग्य है। इतनी अच्छी कृषि भूमि के औसत और 75 करोड़ के भारी भरकम श्रम शक्ति के लगे होने के बावजूद भी हमारे देश में पिछले 10–11 सालों में 2 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इस साल बुंदेलखण्ड के 519 किसानों ने जनवरी से लेकर मई के बीच में आत्महत्या की है।

आज 70 प्रतिशत से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय 500 रूपये मासिक से कम है। अर्थात् 76 प्रतिशत से ज्यादा किसान गरीबी रेखा से नीचे हैं।

देश में उदारीकरण उतनी के बाद अन्य तबकों की आय में जिस रफ्तार से वृद्धि हुई किसानों की आय उतनी नहीं बढ़ी। इन 20 सालों में साबुन से लेकर कृषि में प्रयुक्त डीजल और मजदूरी में पांच गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है, परन्तु गेंहूं और चावल जैसे अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सिर्फ दो गुना से ढ़ाई गुना तक वृद्धि हुई। सरकार कभी 10 पैसे तो कभी 20 पैसे प्रति किलो की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करती है। इस साल कृषि मूल्य और लागत आयोग ने एक रूपये साठ पैसे प्रति किलो की वृद्धि की सिफारिश धान के समर्थन मूल्य के लिए की थी, परन्तु सरकार द्वारा मात्र 80 पैसे प्रति किलो की दर से वृद्धि की गयी है।

सरकार बेशक खाद्य सुरक्षा कानून पारित कर देश के गरीबों को 2 रूपये और 3 रूपये किलो के हिसाब से गेहूं और चावल उपलब्ध कराएं परन्तु देश के 75 से 80 करोड़ किसानों की दुर्दशा और गरीबी को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के प्रति अपनी नीति में बदलाव करे और गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम 25 रूपये प्रति किलो किया जाए, जिससे देश के किसान गरीबी और कर्ज के दुष्चक्र से निकल सकें और लाखों किसानों की आत्महत्या को रोका जा सके।